कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 1024 / 2021 / 10–11 / 3795 भोपाल, दिनांक 17/11/2021

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– सीधी जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मायापुर खुटेली लौआर रोड से बिछरी रोड तक मार्ग के उन्नयन / डामरीकरण हेतु 1.68 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, सीधी को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / 6-MPB 049/2021-BHO दिनांक 08.06.2021

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार हैः–

शर्तें–A

1– शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की लागत राशि वर्तमान मजदूरी दर से राशि रूपये 56,95,054 / – यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में दिनांक 26.10.2021 को ऑनलाईन जमा की जा चुकी है, ऑनलाईन जनरेटेड फार्म की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

2– शर्त क्रमांक (2) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रुपये 13,49,040 / – यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में दिनांक 26.10.2021 को ऑनलाईन जमा की जा चुकी है, ऑनलाईन जनरेटेड फार्म की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

3– शर्त क्रमांक (3) के पालन में प्रकरण में प्राप्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि एवं नेट प्रजेंट वैल्यू की राशि एड–हॉक कैम्पा के अन्तर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में ऑनलाईन दिनांक 26.10.2021 को जमा की जा चुकी है। ऑनलाईन जनरेटेट फार्म की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

4– शर्त क्रमांक (4) के पालन में प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा सीधी जिले की तहसील बहरी के ग्राम खुटेली के खसरा क्रमांक 460 में से 1.68 हेक्टेयर गैर वनभूमि वन विभाग के नाम हस्तांतरित / नामान्तरित कर दी गई है। कलेक्टर सीधी का आदेश दिनांक 29.07.2020, फार्म पी–2 आदि की छायाप्रति संलग्न है।

–2–

5– शर्त क्रमांक (5) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर सीधी का प्रमाण पत्र दिनांक 16.06.2020 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

6– शर्त क्रमांक (6) के पालन में वन मण्डलाधिकारी सीधी ने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के बिन्दु क्रमांक 16 में लेख किया है कि प्रस्तावित मार्ग संरक्षित क्षेत्र में नहीं है, परन्तु 10 कि0मी0 की परिधि में प्रस्तावित मार्ग सोन घड़ियाल अभ्यारण्य में स्थित है। उक्त प्रकरण में पर्यावणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त क्षेत्र ईको सेंसिटिव जोन में होने के कारण पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक न होने के कारण प्रकरण में NBWL की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

7– शर्त क्रमांक (7) के पालन में ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की KML file अपलोड की गई है, जिसका ID No. 45364 है।

8– शर्त क्रमांक (8) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

9– शर्त क्रमांक (9) के पालन में आवेदक संस्थान ने प्रथम चरण स्वीकृति में उपरोक्त उल्लेखित अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन वेबपोर्टल पर अपलोड किया गया है।

शर्ते–B

1– शर्त क्रमांक (1) एवं (2) के पालन में आवेदक संस्था को शर्ते मान्य है।

2– शर्त क्रमांक (3) के पालन में आवेदक संस्था द्वारा अतिरिक्त एन.पी.वी. जमा करने का वचन पत्र दिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

3– शर्त क्रमांक (4) से (17) के पालन में आवेदक संस्था को शर्ते मान्य है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

17/11/2024

(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 1024 / 2021 / 10–11 / 3796 भोपाल, दिनांक 17/11/2024

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सीधी, मध्यप्रदेश।
3. महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, पुराना स्वराज भवन, सीधी, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

17/11/2024

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल